30.5.18

पत्रावली पेश हुई । उभयपक्षकारान के अभिभाषक एवं उभयपक्ष स्वंय उपस्थित हुए । अपीलांटस एवं रेस्पो0 संख्या 1 ने जरिये अभिभाषक उपस्थित न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित राजीनामा दिनांक 21.5.2018 पेश किया । विद्वान वकील अपीलांटस ने राजीनामें में वर्णित कथनों की ताईद करते हुए कथन किया कि ग्राम पुष्कर, तहसील पुष्कर, जिला अजमेर के साबिक राजस्व रिकार्ड, वर्किंग जमाबंदी संवत् 2041 एवं उसके पश्चात् नवीन भू–प्रबंध पश्चात् वर्तमान जमाबंदी संवत् 2068–71 में विवादित भूमि साबिक खसरा संख्या 869 के वर्किंग खसरा नंबर 1273 रकबा 8 बिस्वा वर्तमान खसरा संख्या 1015 रकबा 0.06 है0 बा–2, साबिक खसरा संख्या 871 वर्किंग खसरा नंबर 1285 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा 10 बिस्वांसी से बने वर्तमान खसरा नंबर 578 मिन रकबा 0.38 है0 चा0उ0बी0, साबिक खसरा नंबर 872 से बने वर्किंग खसरा नंबर 1274 रकबा 5 बिस्वा से बने वर्तमान खसरा नंबर 578 रकबा 0.03 है0 एवं 579 रकबा 0.01 है0, साबिक खसरा संख्या 875 के वर्किंग खसरा नंबर 1275 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा से बने वर्तमान खसरा नंबर 580 रकबा 0.20 है0 एवं 1012 रकबा 0.09 है0 कुल रकबा 0.77 है0 भूमि बाबत् अधी0न्याया0 में वाद अंतर्गत धारा 88, 92–ए एवं 188 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत प्रस्तुत किया जिसे अधी0न्याया0 ने निर्णय व डिक्री दिनांक 20.4.2016 द्वारा अपास्त कर दिया । विवादित भूमि पर अपीलांटस/वादीगण के पूर्वज का लगभग 60 वर्षो से कब्जा काश्त चला आ रहा है । रेस्पो0 खसरा नंबर 1273 के साथ अन्य खसरा नंबरान का बिस्वेदार था व बिस्वेदारी समाप्त होने पर उनके अधिकार समाप्त हो गये थे। अपीलांटस द्वारा अधी0न्याया0 के निर्णय व डिक्री दिनांक 20.4.2016 के विरूद्ध न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत करने पर दिनांक 21.5.2018 को दोनो पक्षों के मध्य लिखित राजीनामा हो गया है । उक्त राजीनामें के अनुसार यह तय किया गया कि साबिक खसरा नंबर 871 के वर्किंग खसरा नंबर 1285 रकबा 2 बीघा 6 बिसवा 10 बिस्वांसी से बने वर्तमान खसरा संख्या 578 मिन रकबा 0.38 है90 है0 किस्म चाही उत्तम बी–, साबिक खसरा नंबर 872 वर्किंग खसरा संख्या 1274 रकबा 5 बिस्वा वर्तमान खसरा संख्या 578 मिन रकबा 0.03 है0 व खसरा संख्या 579 रकबा 0.01 है0, साबिक खसरा संख्या 875 वर्किंग खसरा नंबर 1275 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा वर्तमान खसरा नंबर 580 रकबा 0.20 है0 वर्तमान खसरा नंबर 1012 रकबा 0.09 है0 पर से वादीगण/अपीलांटस कब्जाशुदा क्षैत्र में से सामान स्वंय के खर्चे पर निकलावाकर दिनांक 31.5.2018 तक उपरोक्त खसरा नंबरों की भूमि का कब्जा रेस्पो0 को सौंप देगें । वर्तमान खसरा संख्या 578 की पूर्वी सीमा में वर्तमान खसरा संख्या 1015 की सीमा से लगते हुए खसरा संख्या 578 में 7 फुट चौड़ी भूमि का खसरा

लगातार

लगातार

संख्या 1015 की सीमा के समानांतर रास्ते के रूप में अपीलांट संख्या 1 मृतक बिरदीचंद के वारिसान अपने स्वंय के उपयोग उपभोग में ले सकेगें किन्तु रास्ते की उक्त 7 फुट चौड़ी भूमि खसरा संख्या 578 का भाग ही माना जावेगा जिसे अपीलांटस आवागमन हेतु उपयोग–उपभोग में ले सकेगें किन्तु उन्हें उक्त रास्ते की भूमि पर कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं होगे । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे यह कथन किया कि दोनों पक्षों के मध्य यह भी तय किया गया कि साबिक खसरा नंबर 869 वर्किग जमाबंदी खसरा संख्या 1273 रकबा 8 बिस्वा के वर्तमान खसरा नंबर 1015 रकबा 0.06 है0 भूमि जो वर्किग जमाबंदी एवं वर्तमान जमाबंदी में रेस्पो0 के नाम अंकित है तथा पूर्व से ही रेस्पो0 के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित चली आ रही हैं, जिसे रेस्पो0 द्वारा अन्य भूमि के साथ–साथ अपीलांटस को ठेके दिया जाता रहा है, यह भूमि वर्ममान खसरा संख्या 1015 रकबा 0.06 है0 अपीलांटस संख्या 1 मृतक बिरदीचंद के वारिसान के पास रहेगी व व इनको अपने नाम खातेदारी में दर्ज करा सकेंगे । इस खसरा संख्या 1015 की भूमि कोई राजस्व अथवा अन्य कोई वित्तिय दायित्व निर्धारित किया जावेगा तो उसकी पूति का दायित्व अपीलांटस का होगा । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में आगे निवेदन किया कि दोनों पक्षों के मध्य हुए राजीनामें दिनांक 21.5.2018 के अनुसार वादीगण/अपीलांटस को ग्राम पुष्कर के आराजी साबिक खसरा नंबर 869 वर्किग खसरा नंबर 1273 रकबा 8 बिस्वा के वर्तमान खसरा नंबर 1015 रकबा 0.06 है0 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे ।

जवाब में विद्वान वकील रेस्पो0 ने कथन किया कि दोनों पक्षों के आपसी सहमति से राजीनामा हो चुका है । राजींनामा हेतु सिंधिया देवस्थान ट्रस्ट द्वारा अपनी मीटिंग में ट्रस्ट के चेयरमेन एवं ट्रस्टियों ने चन्द्रशेखर चिकले मैनेजर को विवादित भूमि के संबंध में राजीनामा करने हेतु अधिकृत किया है । उक्त अधिकार पत्र के आधार पर यह राजीनामा पेश किया है । राजीनामें में दर्शाये अनुसार वादीगण/अपीलाटस को ग्राम पुष्कर के साबिक खसरा नंबर 869 वर्किग खसरा नंबर 1273 रकबा 8 बिस्वा के वर्तमान खसरा नंबर 1015 रकबा 0.06 है0 का खातेदार काश्तकार घोषित कर डिक्री पारित की जावे।

हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 21.5.2018 एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व एवं आधार अभिलेखों का अवलोकन किया । उभयपक्ष ने न्यायालय हाजा में उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया एवं न्यायालय कें समक्ष राजीनामा होना स्वीकार किया जाने पर न्यायालय हाजा द्वारा राजीनामा सत्यापित किया जाकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि राजीनामा के क्रम में प्रश्नगत भूमि के

लगातार

पुष्कर
154/16/223

बिरदीचन्द बनाम मैसर्स सिल्विया डेवलपर्स

तारीख पेशी	बनाम 2016/00154 हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर श्री .... श्री	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
लगातार	साबिक, वर्किग एवं हाल राजस्व रिकार्ड का परीक्षण कर नियमानुसार निर्णय एवं डिकी पारित करे। पक्षकारान दिनांक 7.6.2018 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर में उपस्थित हो। अधी0न्याया0 का रिकार्ड अधी0न्याया0 को भिजवाया जावे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावे। [signature] राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	श्रीमानजी, RCM (HQ) कलेक्टर की पत्रावली राज. न्यायालय द्वारा SDO पुष्कर को जरिये पत्रावली 3213 SDO पुष्कर क्रमांक 996 / 04-6-18 द्वारा भिजवायी गई। [signature] 04/6/18